न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी—कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 100/2010 प्रा0पत्र.14(4) आवंटन नियम 1970

सरकार जरिये तहसीलदार दौसा जिला दौसा

..प्रार्थी

बनाम

लल्लू लाल पुत्र चिरंजी लाल जाति सैनी निवासी दौसा तहसील व जिला दौसा (फौत)

1. मोहित पुत्र लल्लू लाल जाति सैनी
2. आराधना पुत्री लल्लू लाल जाति सैनी
3. नीतू पुत्री लल्लू लाल जाति सैनी
4. माया देवी पत्नि लल्लू लाल जाति सैनी

समस्त निवासी दौसा तहसील व जिला दौसा

..अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू—आवण्टन नियम—1970

उपस्थित—1. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

<u>निर्णय</u> दिनांक: 25.8.2023

संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 21.06.1989 को ग्राम बापी तहसील दौसा हाल तहसील सैंथल के आ0ख0नं0 1635/3 रकबा 0.45 है0 भूमि का आवंटन अप्रार्थीगण के पिता/पति लल्लू लाल सैनी निवासी दौसा को कर दिया गया। आवंटी द्वारा आवण्टन की शर्तो की पालना नहीं करने के कारण तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू—आवण्टन नियम—1970 के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रा0 पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि आवंटन सलाहकार समिति कैम्प बापी ने अप्रार्थीगण के पिता/पति लल्लू लाल सैनी पुत्र चिरंजी लाल जाति सैनी निवासी दौसा को दिनांक 21.06.1989 के द्वारा ग्राम बापी के आराजी खसरा नंबर 1635/3 रकबा 0.45है. भूमि का आवंटन किया गया था। भूमि आवंटन होने पर नामान्तरण सं0 105 दिनांक 11.06.1990 को गैर खातेदारी दर्ज हुई। किंतु आवंटी द्वारा आवण्टित भूमि पर आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई। मौके पर भूमि खाली (पडत) पडी हुई हैं। भूमि आज तक भी गैर खातेदारी दर्ज है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी/भू अभिलेख निरीक्षक के आवंटी/गैर खातेदारान ने उक्त आवंटित की गई भूमि पर कब्जा काश्त नहीं की जाकर भूमि उपयोग में नहीं ली गई है। अतः आवंटन की शर्तो की पालना नहीं होने के कारण आवंटन निरस्त योग्य है। अतः आवंटी को किया गया आवंटन निरस्त फरमावें।

अप्रार्थीगण के बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

जिला कलेक्टर,दौसा

निरन्तर 2 पर

अप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने से हमने राजकीय अधिवक्ता की एकतरफा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवंटन सलाहकार समिति कैंप बापी द्वारा अप्रार्थीगण के पिता/पति लल्लू लाल पुत्र चिरंजीलाल जाति सैनी निवासी दौसा को दिनांक 21.6.1989 को ग्राम बापी स्थित आराजी खसरा नंबर 1635/3 में से 0.45है0 भूमि आवंटित की गई थी। भूमि आज दिनांक तक गैर खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। पत्रावली में संलग्न खसरा गिरदावरी संवत 2056 से 2059 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि बंजड पडी हुई है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। अतः आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 21.6.1989 को अप्रार्थीगण के पिता/पति को आवंटित की गई भूमि पर आवंटन शर्तों की पालना नही करने से हम उक्त आवंटन खारिज किया जाना हम उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार, दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है। आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 21.6.1989 द्वारा ग्राम बापी में अप्रार्थीगण के पिता/पति के पक्ष में किया गया प्रश्नगत आवंटन खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा को प्रेषित की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांकः 25 अगस्त, 2023 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official